

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)  
भू-अर्जन प्रशाखा  
अधिघोषणा


संख्या : आर0 पटना, दिनांक :  
चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-नवानगर निजामत, थाना नं0-28, अंचल-साहेबगंज, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् साहेबगंज बाईपास निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा-नवानगर निजामत, थाना नं0-28, अंचल-साहेबगंज, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम- वेश X बीघा X कट्ठा X धूर X छटाँक है जो 2.7925 (दो एकड़ सबा उनासी डीसमल ) एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-  
पूर्ण खेसरा संख्या-609 एवं 610 तथा अंश खेसरा संख्या- 594, 597, 598, 600, 601, 603, 606, 607, 608 611, 612, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 632, 703, एवं 704.

चौहद्दी

उत्तर - अंश खेसरा सं0- 593.  
दक्षिण - अंश खेसरा संख्या-636.  
पूरब - अंश खेसरा सं0 -594, 597, 598, 608, 625, 629, 630, 632, 703, 704, तथा पूर्ण खेसरा संख्या-633.  
पश्चिम - अंश खेसरा नं0-598, 600, 601, 603, 606, 607, 611, 612, 623, 625, 626, 627, 628, एवं 632.  
भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लैट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिए जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा-6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

  
(अनुपम कुमार)  
समाहर्ता,  
मुजफ्फरपुर


बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के अवर सचिव,  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों में (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

9